न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

जमानत आवेदन संख्या–87/2026 संगणक पंजियन संख्या–1329/2026

UPGZ010030162026

1. फरजान उर्फ नाटा पुत्र इमरान, निवासी–डी–161 निशारिया मस्जिद के पास, नई सीमापुरी शाहदरा, दिल्ली।

2. मोहित पुत्र मोहनपाल, निवासी–गुर्जर चौक भोपुरा डिफेंस कॉलोनी सत्ते भाई वाली गली, थाना–टीला मोड़, जिला–गाजियाबाद----------आवेदकगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–73/2026
धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–शालीमार गार्डन, गाजियाबाद

12.03.2026

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत आवेदन मु०अ०सं०–73/2026 धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–शालीमार गार्डन, जिलाः गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से सावित्री देवी पत्नी मोहनपाल व सलमा बेग पत्नी इमरान खान का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत आवेदन पर अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्हें झूंठा फसाया गया है। अभियुक्तगण से किसी प्रकार की

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.03.12 15:46:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई बरामदगी नहीं हुई है बल्कि थाना हाजा की पुलिस द्वारा जो भी कथित बरामदगी अभियुक्तगण से दर्शित की गयी है वह पुलिस द्वारा सुनियोजित तरीके से झूंठी दर्शायी गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण से संयुक्त बरामदगी दर्शित की गयी है, जो वाणिज्यिक श्रेणी से कम है। अभियुक्तगण उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध हैं। अभियुक्तगण पर धाराः 50,52,55,57 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्तगण अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्तगण एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

5– अभियुक्तगण के जमानत आवेदन के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण अभियुक्तगण फरजान उर्फ नाटा व मोहित से क्रमशः 46 पुड़िया स्मैक वजन 15.64 ग्राम एवं 33 पुड़िया स्मैक वजन 33 ग्राम बरामद हुई है। अपराध गंभीर है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने आवेदकगण/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह भी कथन किया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों को अवैध रूप से बेचे जाने के कारण ही आजकल के नवयुवक व नवयुवतियाँ उसका सेवन कर नशे के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके भविष्य व कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने लक्ष्य एवं मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि समाज के लिये तथा देश के लिये अत्यंत घातक है, अतः आवेदकगण/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस हमराही बल द्वारा आवेदक अभियुक्तगण फरजान उर्फ नाटा से 46 पुड़िया स्मैक, जिसका वजन कागज से साथ 15.64 ग्राम व कागज के बिना 3.68 ग्राम स्मैक बरामद करना तथा मोहित से 33 पुड़िया स्मैक, जिसका वजन कागज के साथ 33 ग्राम व कागज के बिना 2.64 ग्राम स्मैक बरामद किया जाना दर्शित है। थाना हाजा से प्रस्तुत आख्या अनुसार आवेदकगण अभियुक्तगण का अन्य कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। उक्त अभियुक्तगण हस्तगत प्रकरण में कारागार में निरूद्व हैं। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा बरामद नशीले पदार्थ की मात्र आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **फरजान उर्फ नाटा** व **मोहित** की ओर से मु०अ०सं०–73/2026 धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–शालीमार गार्डन, जिलाः गाजियाबाद में प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–87/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 60,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्त जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्षियों से प्रतिपरीक्षा, कथन अन्तर्गत धाराः 313 दं०प्र०सं० तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code- UP6480